

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>2017/00144</u></p>	<p>नम्बर अहक हुक्म क जारी हु</p>
<p>30/8/17</p>	<p>वादी की ओर से वकील श्री राजकुमार दीपा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सख्या 1, 2 की ओर से वकील गोप उकाश एव पुत्रराज बलका ने वकालतनामा पेश कर जवाब देर समय चला। पत्रावली कासि जवाब व प्रतिवादी सख्या 3 की तलकी देर दिनांक 26-10-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)</p>	
<p>no instructions 26/10/17</p>	<p><u>26/10/17</u> वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी की ओर से कुछ हिदायत पेशी नहीं है। वकील वादी ने इनिशियल पर भी इनिशियल किया। वादी को इजलास उठे तब कई बार अदालत उठे तब इवाजे लागू हुई गई। परन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आय। अतः उक्त उक्त पेशी कायम हाजिरी में खालि किया जा रहा है। मिसल केवल सुनार होकर नम्बर से कम है। वाद खतरा देखिल है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)</p>	

